कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/माध्य/स्थिरी/34810/06/2016/ दिनांकः 21.09.2016

समस्त उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा

—: **परिपत्र** :—

विषयः— विद्यमान अधिकारी/कर्मचारियों की नियमित पदौन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में ।

जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा पदौन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण सम्बन्धी जारी आदेशों के अवलोकन व इस सम्बन्ध में बार—बार मांगे जा रहे दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी की विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा रिक्त पद के विरूद्ध नियमित पदौन्नति हो जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का (चालू वेतन बैंड से एक ग्रेड वेतन से दूसरे में पदौन्नति हो जाने पर) विद्यमान चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में वेतन वृद्धि की राशि 3 प्रतिशत के बराबर एक वेतन वृद्धि सगणित की जावे तथा पदौन्नति पद के ग्रेड—पे की अन्तर राशि स्वीकृत की जावे । समस्त कार्यालध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी की नियमित पदौन्नति पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम—2008 के नियम— 24 (i) के अनुसार ही वेतन निर्धारण किया जावे । समस्त कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सिविल सेवा नियम—2008 के नियम—24 (i) के प्रतिकूल नियमित पदौन्नति पर निर्धारित/स्वीकृत अधिक वेतन राशि की तत्काल प्रभाव से वसूली सुनिश्चित करें । वसूली के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों व राशि के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 15 दिस में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ।

21.9.16
वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रस्तुत/प्रेषित है :—

1- निदेशक, कोष एवं लेखा, वित्त भवन, राजस्थान—जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त अधीनस्थ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी पदौन्नति पर वेतन निर्धारण सम्बन्धी बिलों की समुचित जांच किये बिना विपत्र पारित किये जा रहे है । सम्बन्धित को समुचित दिशा—निर्देश जारी करने का श्रम करावें ।
2- समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
3- समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय सम्बन्धित कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि अनियमित वेतन निर्धारण की वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ की जावे ।
4- समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय, (आन्तरिक जांच दल) कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि पदौन्नति के फलस्वरूप अनियमित वेतन निर्धारण प्रकरणों की नियमानुसार जांच कर अंकेक्षण टिप्पणीं अनिवार्य रूप से जांच प्रतिवेदन में अंकित करें ।
5- सम्पादक शिविरा प्रकाशन अनुभाग को आगामी अंक में प्रकाशन हेतु ।
6- उपनिदेशक, सामान्य प्रशासन एवं आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय हाजा ।
7- अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करनें हेतु ।
8- सहायक निदेशक सम्बन्धित अनुभाग ए—बी, सी, एफ, सामान्य प्रशासन, माध्यमिक अनुभाग ।

21.9.16
वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर